गयत

मार्ग

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत द्वींग—तपोण तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक ते निर्माण को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री स्थाद किया गया। संयुक्त विभाग की ओर से श्री स्थाद किया गया। संयुक्त विभाग की ओर से श्री स्थाद किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन मूनि किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन मूनि किया गया। संयुक्त विभाग वन भूमि राजि है०, वन पंचायत भूमि किया होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई ३.00 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। वृक्षों की सूची संलग्न है।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त कोई भी अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है एवं उक्त मार्ग निर्माण हैतु ली गई वन भूमि न्यूनतम है। मार्ग का संरेखण इस प्रकार किया गया है कि वन सम्पदा जैसे वृक्षों का कम से कम नुकसान हो। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त योजना पर कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

कनिष्ठं अभियन्ता (प्रयोक्ता एजेन्सी)

पटवारी

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

व्य दर्गगा

वन विभाग प्रतिनिधि

वहसीलदार

वृद्धी**यका** क्रिक

अमीन

वनक्षेत्राधिकारी जनावकारी जमोनी रेन्ज जपिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता प्रां0खं0 लो0नि0वि, गोपेश्वर

व्य वन सम्बक्त बद्रानाथ वन प्रभाग गोपश्वर चम्मूली

1/2019n

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted, under FCA)

| A proposal has been received by this Aproposal has been received by the Aproposal has been received by this Aproposal has been received by this Aproposal has been received by the Aproposal has been |
|---|
| for diversion under FCA-1980) of |
| 1 1 |
| of the site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated- |
| the site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated- |
| 5-4-12 |

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.-2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage, site/defence establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

It has been fount that the user agency has violated the forest (Conservation). Act, 1980 provision. A details report as per para 1.9 of chapter-1 para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of proposal.

Place:- 2114242 Date:- 5-4-12 Name

(Signature)

Designation द्वाना वन प्रभाग Office Seal गिषेश्वर (चमान्ती

N.B.

(xb)

x- state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/200 FC dated 16-10-200 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.